

क्रमांक :- राजहैल्थ / 2025 / 84

दिनांक :- (AS PER SIGNATURE)

--:आदेश:-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर द्वारा निदेशालय को फार्मासिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग के **"राजहैल्थ पोर्टल"** के माध्यम से नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने हैं।

अतः संबंधित नवनियुक्त अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाईट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे www.rajhealth.rajasthan.gov.in पर लॉग-इन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए, **संलग्न दिशा-निर्देशानुसार** अपने पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प प्रस्तुत करें।

वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन स्थान हेतु दिनांक 09.05.2025 से 13.05.2025 रात्रि 12 बजे तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना/विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे।

निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक :- राजहैल्थ / 2025 / 84

दिनांक :- (AS PER SIGNATURE)

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक(जन स्वा0), मुख्यालय।
6. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश एवं संलग्न दिशा निर्देश, आपके संस्थान की वेबसाईट पर भी अपलोड कराने का श्रम करावें।
8. संबंधित नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 09-05-2025 02:29:55

फार्मासिस्ट पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा- निर्देश

1. नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राजहैल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑन लाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के सम्बन्ध में लॉग-इन करना होगा।
2. लॉग-इन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने/शीफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में सम्बन्धित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जायेगी एवं गलत/झूठी सूचना अंकित करने पर सम्बन्धित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4. शहीद परिवार के आश्रित को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी संबंधित द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में से **नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम 100 एवं टीएसपी एरिया में कम से कम 50** विकल्प भरने अनिवार्य है। जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन उपलब्ध होगा।
7. पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाईन कॉउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
8. **अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है।** वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा **अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।** यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रेन्डम आधार आवंटन किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें।
9. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा की वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्तानुसार रिक्तियां भरने के उपरान्त शेष रही रिक्तियों पर रेन्डम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है।
11. **विभाग द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है।**

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :09-05-2025 02:29:51